


न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी,

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज बनाम मु. सं.	नम्बर अहक हुकम में
------------	---	-----------------------------

18.4.22

काज पत्रावली पर हुई। कोई उपस्थित नहीं आया। वकील पार्थी को बार-बार निर्दिष्ट करने के उपरान्त भी तलवाग सम्मत प्रस्तुत नहीं किया गया। तलवाग सम्मत प्रस्तुत नहीं करने के कारण बीपी का वादपर 09 R-5 जादवी के तहत ड्राईट कर रेकार्ड किया जा चुका है। अतः इस पार्थी पर चलाते का कोई ऑचियल नहीं रहा है। इसलिए पार्थीगण का पार्थीगपर रेकार्ड किया जाता है। फैसल सुनार होकर संलग्न मूल वाद पर रहे।

आदेश सुनाया गया 
उपखण्ड अधिकारी
महाराजगढ़ जिला दौसा